राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बालस्वरूप बनाम प्रहलाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 लगा. 8 की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/08/2025 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रस्तुत करने तक के लिये अपीलाधीन अन्तरिम आदेश पारित किया है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अपीलार्थी के पास उपलब्ध है परन्तु ऐसा नही कर अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन अन्तरिम आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी है एवं अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार अपील के स्तर पर प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे की अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 07/08/2025 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	